

भारत सरकार

भारत

का

विधि

आयोग



विवाह और विवाह विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण पर विधियां - समेकन और सुधार का प्रस्ताव

रिपोर्ट सं. 211

अक्तूबर, 2008



भारत का विधि आयोग (रिपोर्ट सं. 211)

विवाह और विवाह विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण पर विधियां - समेकन और सुधार का प्रस्ताव

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 17 अक्तूबर, 2008 को डा. एच. आर. भारद्वाज, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित। 18वें विधि आयोग का गठन भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के आदेश संख्या ए.45012/1/2006-प्रशा. III (एल ए) तारीख 16 अक्तूबर, 2006 द्वारा 1 सितम्बर, 2006 से तीन वर्ष के लिए किया गया।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और सात अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है।

अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति डा. एआर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रोफेसर (डा.) ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा

डा. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लै

प्रोफेसर (श्रीमती) लक्ष्मी जामभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. (श्रीमती) श्यामला पप्पू

विधि आयोग आई. एल. आई. बिल्डिंग, द्वितीय तल, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001 पर स्थित है।

विधि आयोग के कर्मचारिवृंद

सदरय-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार

संयुक्त सचिव और

विधि अधिकारी

कुमारी पवन शर्मा

: अपर विधि अधिकारी

श्री जे. टी. सुलक्षण राव

: अपर विधि अधिकारी

श्री ए. के. उपाध्याय

उप विधि अधिकारी

डा. वी. के. सिंह

सहायक विधि सलाहकार

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार

संयुक्त सचिव और विधि

अधिकारी

श्री डी. चौधरी

: अवर सचिव

श्री एस. के. बसु

: अनुभाग अधिकारी

श्रीगती रजनी शर्मा

सहायक पुस्तकालय और सूचना

अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ http://www.lawcommissionofindia.nic.in
पर इन्टरनेट पर उपलब्ध है ।

[©] भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्न के सिवाय) इस शर्त के अधीन किसी प्ररूप या माध्यम में निःशुल्क पुनरुत्पादित किया जा सकता है बशर्त कि यह ठीक-ठीक पुनरुत्पादित किया गया है और भ्रामक संदर्भ में प्रयोग नहीं किया गया है । सामग्री की अभिरवीकृति भारत सरकार कापीराइट और विनिर्दिष्ट दस्तावेज के शीर्षक के रूप में की जाए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित कोई पूछताछ सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग, द्वितीय तल, आई. एल. आई. भवन, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001, भारत को डाक द्वारा या ई-मेल : lci-dla@nic.in द्वारा संबोधित किया जाए।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन (भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय) अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

आई.एल.आई. भवन (द्वितीय तल) भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001

दूरभाष- 91-11-22384475

फैक्स - 91-11-23383564

अर्ध. शा.सं. 6(3)133/2007-एल सी(एल एस) 17 अक्तूबर, 2008.

प्रिय डा. भारद्वाज जी,

विषय:- विवाह और विवाह विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण पर विधियां - समेकन और सुधार का प्रस्ताव ।

में उपरोक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 211वीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं।

यह विषय स्वप्रेरणा से सीमा बनाम अश्विनी कुमार [2006(2) एस. सी. सी. 578] वाले मामले में तारीख 14.2.2006 के उच्चतम न्यायालय के इन निदेशों के आलोक में विचारार्थ लिया गया है कि सभी विवाह को अनिवार्य रूप से रिजस्ट्रीकृत किया जाए और यह कि राज्य सरकारें इस संबंध में नियम बनाने की कार्रवाई आरंभ करें । विवाहों के रिजस्ट्रीकरण की विधियों में काफी विभिन्नता है ।

यद्यपि हमारे पास 122 वर्ष पुराना केन्द्रीय अधिनियम अर्थात् जन्म,

निवासः सं. 1, जनपथ, नई दिल्ली-110001. टेली. 91-11-23019465, 23793488, 23792745. ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in.

मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 है जो यह उल्लेख करता है कि राज्य द्वारा नियुक्त जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रार द्वारा अधिनियम के अधीन "जन्म और मृत्यु" का रिजस्ट्रीकरण किया जाए लेकिन विवाह के रिजस्ट्रीकरण का कोई उपबंध नहीं है, अतः अधिनियम का शीर्षक कुछ हद तक भ्रामक है । अधिनियम के अधीन, जन्म, मृत्यु और विवाह महा-रिजस्ट्रार को ही विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 और पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त विवाह रिजस्टरों की प्रमाणित प्रतियों की सही सूची बनाए रखना है ।

(

हमारे पास बम्बई, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में विवाह रिजस्ट्रीकरण पर कुछ अन्य राज्य विधियां हैं लेकिन कहीं भी विवाह रिजस्टर कराने की असफलता जो अन्यथा अनिवार्य है, किसी भी प्रकार से विवाह की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करता । विवाह के रिजस्ट्रीकरण की प्रशासनिक मशीनरी एक ही विधि द्वारा हर जगह विनियमित नहीं है । देश के विभिन्न भागों में, इसका विनियमन या तो तीन केन्द्रीय विधि – जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 और जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 और जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में से एक या स्थानीय विधि द्वारा या दोनों के संयोजन से होता है । यह रिजस्ट्रीकरण कर्मचारियों और अपना विवाह रिजस्टर कराने के इच्छुक या रिजस्टर कराने की अपेक्षा वाले लोगों में काफी भ्रम पैदा करता है । विवाह के रिजस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों में घोर विभिन्नता थी जो इसे जटिल और भ्रामक बनाती थी ।

इसी प्रकार, विवाह-विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण के लिए, ऐसी विधियां

जो किसी प्रकार के विवाह विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण का उपबंध करती हैं, मुस्लिमों और पारिसयों में है लेकिन राज्य विधियों के उपबंध निष्क्रिय हैं और व्यवहार में नहीं हैं और इस प्रकार विधि के दुरुपयोग की पर्याप्त गुंजाइश है और महिलाओं को काफी कठिनाई पहुंचाती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विधि आयोग संपूर्ण भारत में और सभी नागरिकों को उनके धर्म तथा स्वीय विधि के सिवाय और किसी अपवाद या छूट के बिना लागू बनाए जाने के लिए "विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम" के अधिनियमन की सिफारिश करता है।

प्रस्तावित विधि केवल विवाह और विवाह-विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण के लिए न कि इस समय लागू विभिन्न वैवाहिक विधि — सामान्य और समुदाय-विशेष — द्वारा किसी अधिष्ठायी पहलू के बारे में होनी चाहिए । तद्नुसार जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 को निरसित किया जाए और जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का पुनः नाम इस उपबंध के साथ "जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम अधिनियम रखा जाए कि पूर्व अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी और बनाए रखे गए अभिलेखों को बाद वाले अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी और बनाए रखे गए अभिलेखों का समझा जाए ।

सिफारिशों को, यदि स्वीकार किया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है, तो आशजनक रूप से देश में होने वाले सभी विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को न्यायालय के बार-बार निदेश के पीछे छिपी उच्चतम न्यायालय की चिन्ता दूर होगी।

मैं यह रिपोर्ट तैयार करने में प्रो. डा. ताहिर महमूद, पूर्णकालिक

सदस्य द्वारा दिए गए व्यापक योगदान के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

सादर

भवदीय,

ह/−

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

डा. एच. आर. भारद्वाज, केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001

भारत का विधि आयोग

विवाह और विवाह विचछेद के रिजर्ट्रीकरण पर विधियां – समेकन और सुधार का प्रस्ताव ।

विषय सूची

अध्याय			पृष्ट सं.			
अध्याय.	_ 1					
प्रस्तावन	<u>n</u>		13			
अध्याय	- 2					
सिविल विवाह का रजिस्ट्रीकरण						
	क.	पुराना विशेष विवाह अधिनियम, 1872	15			
	ख.	नया विशेष विवाह अधिनियम, 1954	16			
	ग.	विदेश विवाह अधिनियम, 1969	18			
अध्याय	- 3	•				
हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्ख विवाह का रजिस्ट्रीकरण						
	क.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	19			
	ख.	हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम	21			
	ग्.	विशेष और स्थानीय विधियां	- 22			
अध्याय	- 4					
मस्लिम विवाह का रजिस्टीकरण						

क.	काजी द्वारा प्रमाणन	24				
रव.	काजी अधिनियम, 1880	25				
ग.	स्थानीय मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद	26				
	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम					
अध्याय – 5						
क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी और बहाई विवाह का रजिस्ट्रीकरण						
क.	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	29				
रव.	पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम,	31				
	1936					
ग.	बहाई और यहूदी विवाह	32				
अध्याय – 6						
जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886						
क.	अधिनियम की सीमित व्याप्ति	33				
ख.	विवाह अभिलेखों का पारेषण	33				
अध्याय – 7						
विवाह रजिस्ट्रीकरण पर साधारण राज्य विधियां						
क.	बम्बई विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1954	35				
ख.	अन्य राज्यों की विधियां	37				
अध्याय – 8						
विवाह-विच्छेद का रजिस्ट्रीकरण						

	कें.	न्यायालय के बाहर अभिप्राप्त विवाह विच्छेद	39			
	ख.	न्यायालयों द्वारा अभिप्राप्त विवाह-विच्छेद	40			
अध्याय	- 9					
निष्कर्ष और सिफारिशें						
•	क.	निष्कर्ष	41			
	ख.	सिफारिशें	13			

प्रस्तावना

फरवरी, 2006 तक उच्चतम न्यायालय ने सीमा बनाम अश्विनी कुमार वाले मामले में पक्षकारों के धर्म और स्वीय विधि पर ध्यान दिए बिना सभी विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण के लिए नियम विरचित करने हेतु सभी राज्य सरकारों को तीन बार निदेश दिया है। राज्य विभिन्न प्रकार से इन निदेशों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जुटे हैं।

तकनीकी रूप से, विधि का प्रभाव रखने वाले नियमों की विरचना उचित विधान द्वारा किसी सरकार को प्रत्यायोजित प्राधिकार के अधीन ही उसके द्वारा की जा सकती है।

जैसा सुज्ञात है, हमारे देश में वैवाहिक विधियों की दोहरी प्रणाली है । साधारणतः विभिन्न समुदाय या समुदायों के समूह संहिताबद्ध या असंहिताबद्ध अपने स्वीय विधियों द्वारा शासित होते हैं जबिक वहीं कोई व्यक्ति समुदाय-विनिर्दिष्ट कुटुम्ब-विधि व्यवस्था को छोड़ सकता है और स्वेच्छया सिविल विवाह पर राष्ट्रीय विधियों को अपना सकता है । वैकल्पिक या आज्ञापक विवाहों के रिजस्ट्रीकरण उपबंध अधिकांशतः इन विधियों के अधीन पाए जाते हैं ।

ऐसे उपबंध कुछ विधियों में हैं लेकिन सभी वैवाहिक विधियों में राज्य नियुक्त कर्मचारियों के पास विवाह-विच्छेद के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध नहीं है । विवाह के रजिस्ट्रीकरण की तुलना में इस बाबत अधिक विधिक विभिन्नता है ।

यह उचित समय है कि हमने यह मूल्यांकन करने के लिए, कि

क्या देश में सामाजिक विकास के इस दौर में विवाह और विवाह-विच्छेद रिजस्ट्रीकरण विधियों की एक समान व्यवस्था संभव है, यदि नहीं, तो वर्तमान प्रणाली को सरल और कारगर बनाने तथा सुधार करने के लिए कैसा आवश्यक विधिक सुधार लाया जाए, विवाह और विवाह विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण पर केन्द्रीय और राज्य विधियों के संपूर्ण परिक्षेत्र पर दूसरी बार विचार किया ।

सिविल विवाह का रजिस्ट्रीकरण

क. पुराना विशेष विवाह अधिनियम, 1872

€.

(

भारत में सिविल विवाह की प्रथम विधि विशेष विवाह अधिनियम, 1872 थी। इसका अधिनियमन ब्रिटिश शासन के दौरान गठित प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया था। मुख्यतः अन्तर-धर्मीय विवाहों को सुकर बनाना, होने के कारण, आरंभतः इसका उपभोग केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता था जो किसी स्थापित धर्म को मानने का दावा नहीं करते थे। बाद में, 1923 से प्रभावी एक संशोधन द्वारा ऐसे दोनों पक्षकारों जो हिन्दू, बौद्ध, जैन या सिक्ख धार्मिक आस्था से जुड़े थे, के विवाहों को भी स्वीय विधि के विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया।

इस अधिनियम के अधीन विवाह का अनुष्ठापन और रिजस्ट्रीकरण की प्रक्रियाएं एक ही संव्यवहार से जुड़ी थी। विवाह रिजस्ट्रार, स्वतंत्र या पदेन की नियुक्ति स्थानीय सरकार द्वारा अपने प्रशासन के अधीन विभिन्न राज्यक्षेत्रों के लिए की जानी थीं (धारा 3); और वे अधिनियम के अधीन विवाह के अनुष्ठापन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। प्रक्रिया का आरंग विहित प्ररूप में विवाह रिजस्ट्रार को दिए जाने वाले विवाह के आशय की नोटिस से और समाप्ति उसकी उपस्थिति में विवाह अनुष्ठापन से होता है (धारा 4, 12)। विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात्, विवाह रिजस्ट्रार पक्षकारों और तीन साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित अपने विवाह प्रमाणपत्र बही में विहित प्ररूप में "उसका प्रमाणपत्र प्रविष्ट" करेगा । (धारा 13)

अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे प्रत्येक विवाह रिजस्ट्रार से क्षेत्र के जन्म, मृत्यु और विवाह महारिजस्ट्रार को अपने विवाह प्रमाणपत्र बही में सभी प्रविष्टियों की प्रमाणित सत्य प्रतियां विहित अंतरालों में भेजने की अपेक्षा थी (धारा 13-क) । विवाह प्रमाणपत्र बही "सभी युक्तिसंगत समयों पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उसमें अंतर्विष्ट कथन की सत्यता के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा और इसकी प्रतियां आवेदकों को उपलब्ध कराई जाएंगी । (धारा 14)"

विशेष विवाह अधिनियम, 1872 स्वतंत्रता के पश्चात् तक प्रवृत्त रहा और अंततः नए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा निरसित किया गया और प्रतिस्थापित किया गया । तथापि, विवाहों के अनुष्ठापन-सह-रिजस्ट्रीकरण पर इंसके उपबंध कमोवेश नए अधिनियम के अधीन प्रतिधारित थे ।

ख. नया विशेष विवाह अधिनियम, 1954

नया विशेष विवाह अधिनियम, 1954 एक ही संव्यवहार में सिविल विवाहों के अनुष्ठापन और रिजस्ट्रीकरण को भी समेकित करता है । यह राज्य सरकारों को विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के लिए अपने प्रयोजनों के लिए एक या अधिक विवाह अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु समर्थ बनाता है । अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होता लेकिन बाहर अधिवसित लेकिन राज्य के भीतर रह रहे लोगों के लिए वहां विवाह अधिकारियों की नियुक्ति का उपबंध करता है (धारा 3) ।

इस अधिनियम के अधीन सिविल विवाहों की प्रक्रिया कमोबेश

1872 के प्रथम विशेष विवाह अधिनियम के जैसी है — ऐसे जिले क़े विवाह अधिकारी को, जिनमें कम से कम एक पक्षकार कम से कम 30 दिनों तक रहा है, विहित प्ररूप में दी जाने वाली आशियत विवाह की नोटिस के साथ आरंभ होती है (धारा 5) और उसकी उपस्थिति इसके अनुष्ठापन के साथ समाप्त होती है (धारा 11-12) । विवाह अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले विवाह प्रमाणपत्र बही हेतु 1872 के पुराने अधिनियम के उपबंध नए अधिनियम में प्रतिधारित किए गए हैं जिसमें यह भी उपबंध है कि विवाह प्रमाणपत्र इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य समझा जाएगा कि इस अधिनियम के अधीन विवाह का अनुष्ठापन किया गया है और साक्षियों के हस्ताक्षरों से संबंधित सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है । (धारा 13)

1872 के पुराने विशेष विवाह अधिनियम में अनुपलब्ध लेकिन 1954 के नए विशेष विवाह अधिनियम के नए उपबंधों के अधीन इसके रिजर्टीकरण द्वारा विद्यमान धार्मिक विवाह को सिविल विवाह में संपरिवर्तित करने की सुविधा है (धारा 15) । इसकी प्रक्रिया वैसी ही है जैसी विवाह प्रमाणपत्र जारी करने समेत अधिनियम के अधीन आरंभतः अनुष्ठापित विवाहों के लिए थी।

जन्म, मृत्यु और विवाह महारजिस्ट्रार के सभी विवाह अधिकारियों द्वारा विवाह अभिलेखों के सावधिक पारेषण के उपबंध को नए अधिनियम में प्रतिधारित किया गया है, आवर्तिता और प्ररूप अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियमों के अधीन विरचित किया जाना विहित है। (धारा 48-50)

ग. विदेश विवाह अधिनियम, 1969

विदेश विवाह अधिनियम का अधिनियमन विदेशों में भारतीय नागरिकों द्वारा सिविल विवाहों के अनुष्ठापन को सुकर बनाने के लिए किया गया था । केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने विदेशी दूतावासों में इस प्रयोजन के लिए विवाह अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं (धारा 3) । इस अधिनियम के अधीन कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य भारतीय या विदेशी से विवाह कर सकता है (धारा 4) ।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की तरह, इस अधिनियम के अधीन भी विवाहों का अनुष्ठापन और रिजस्ट्रीकरण एक ही संव्यवहार के भाग हैं। ऐसे विवाहों के अनुष्ठापन और रिजस्ट्रीकरण की प्रक्रिया कमोबेश विशेष विवाह अधिनयम, 1954 के जैसी है। सभी दूतावासों में विवाह प्रमाणपत्र बही बनाई रखी जाएगी। देश के किसी सामान्य रिजस्ट्रार को अभिलेखों के पारेषण के लिए इस अधिनियम में कोई उपबंध नहीं है।

नए विवाहों के अनुष्ठापन के अलावा, यह अधिनियम उन देशों की विधियों के अधीन विदेशों में अनुष्ठापित पूर्व-विद्यमान विवाहों के रिजरट्रीकरण के लिए भी उपबंध करता है। (धारा 17)।

हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्ख विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

क. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

हिन्दू विधि का प्रथम संहिताकरण "बड़ौदा हिन्दू निबंध 1937" शीर्षक के अधीन बड़ौदा राजा के राज्य में किया गया था । इसके पूर्व मैसूर राज्य ने हिन्दू विधि (महिला अधिकार) अधिनियम, 1933 का अधिनियमन किया था ।

जिसे "ब्रिटिश भारत" कहा गया, उसमें हिन्दू विवाह विधि के कित्य पहलुओं के सुधार के लिए एक के बाद एक कई विधियां अधिनियमित की गई थीं।

उपरोक्त निर्दिष्ट किसी भी स्थानीय और केन्द्रीय विधियों में राज्य प्राधिकारियों के समक्ष विवाहों के रिजस्ट्रीकरण की कोई अपेक्षा नहीं थी। हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्ख विवाहों के रिजस्ट्रीकरण हेतु उपबंध करने की प्रथम विधि स्वतंत्रता के पश्चात् अधिनियमित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 थी।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 गोवा राज्य और दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को लागू नहीं होता । पुडुचेरी में यह 'रेनोन्कैट' (जिन्होंने 1954 में राज्यक्षेत्र का भारत संघ में विलय के समय स्थानीय फ्रैंको – इंडियन विधि का विकल्प चुना था) को लागू नहीं होता ।

जम्मू-कश्मीर राज्य का केन्द्रीय अधिनियम के पैटर्न पर

अधिनियमित अपना निजी हिन्दू विवाह अधिनियम है।

"हिन्दू विवाहों के सबूत को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए "हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिन्दू विवाह रिजस्टर में विशिष्टियां "ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित किया जाए" प्रविष्ट करा कर विवाहों के वैकल्पिक रिजस्ट्रीकरण के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाता है। ऐसे रिजस्टर सभी युक्तिसंगत समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और उसमें अंतर्विष्ट कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। रिजस्टर की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतियां फीस के संदाय पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

अधिनियम इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को विवाहों के रिजस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए "निदेश " जारी करने को सशक्त करता है "यदि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।" सरकार संपूर्ण राज्य या इसके किसी भाग के लिए कार्रवाई कर सकती है और यह भी विनिश्चित कर सकती है कि क्या राजिस्ट्रीकरण "सभी मामलों में या ऐसे मामलों में जो विनिर्दिष्ट किया जाए" अनिवार्य होगा। यदि कोई राज्य सरकार विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण के लिए ऐसा निदेश जारी करती है तो इसका अतिक्रमण 25/- रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा। तथापि, विवाह का गैर-रिजस्ट्रीकरण किसी भी दशा में किसी विवाह की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

साधारणतः हिन्दू विवाह अधिनियम, अधिनियम की धारा 8 और राज्य सरकारों द्वारा इसके अधीन विरचित नियमों की व्याप्ति के बाहर के अनुसूचित जनजाति, जनजातीय विवाहों को लागू नहीं होता ।

ख. हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम

()

राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य 1956 में, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अधीन नियम बनाने वाले पहले ऐसे राज्य थे। बाद वाले राज्य ने इन नियमों के स्थान पर 1984 में बनाए गए नए नियमों को रखा। धीरे-धीरे, लगभग सभी राज्यों ने अपेक्षित नियम बनाए, लेकिन विभिन्न राज्य नियमों के उपबंध एक जैसे नहीं हैं।

उदाहरणार्थ, असम हिन्दू विवाह नियम, 1961 में यह उबपंध है कि "अधिनियम और इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन क्षेत्रों के सिवाय जहां रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 नहीं लागू होता, असम हिन्दू विवाह का रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक होगा" (नियम 19) ।

केरल हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 1957 ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को "अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण क्षेत्रों" (जहां सरकार सभी विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर सकती है) और "अन्य क्षेत्रों" (जहां रजिस्ट्रीकरण वैकल्पिक है) में वर्गीकृत किया है।

विवाह के रिजस्ट्रीकरण को पश्चिमी बंगाल हिन्दू विवाह रिजस्ट्रीकरण नियम, 1958, आंध्र प्रदेश हिन्दू विवाह रिजस्ट्रीकरण नियम, 1965, कर्नाटक हिन्दू विवाह रिजस्ट्रीकरण नियम, 1966 और उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रिजस्ट्रीकरण नियम, 1973 समेत अधिकांश अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन वैकल्पिक रखा गया है।

बाद के वर्षों में कुछ राज्यों ने न कि सभी राज्यों ने हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण या चयनित रिजस्ट्रीकरण के नियम बनाए । 2006 के उच्चतम न्यायालय के निदेश के पश्चात् ही शेष राज्य सरकारों ने इस संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दिया है।

हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में साधारणतः जन्म, मृत्यु और विवाह महारिजस्ट्रार को जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन नियुक्त और कार्यरत राज्य में विवाह अधिकारियों की बाबत पर्यवेक्षणीय और अपील प्राधिकारी के रूप में वर्णित किया गया है । इन विधियों में से कुछ विधियों में, विवाह अधिकारियों से विहित अंतरालों पर महारिजस्ट्रार को अपने अभिलेख पारेषित करने की अपेक्षा है ।

ग. विशेष और स्थानीय विधियां

आनंद विवाह अधिनियम, 1909, जो अभी प्रवृत्त हैं, को "आनंदकारज" के नाम से ज्ञात धार्मिक रस्मों द्वारा किए जाने वाले सिक्ख विवाहों को मान्यता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। तथापि, इसमें ऐसे किसी विवाह के रिजस्ट्रीकरण का कोई उपबंध नहीं है। हाल ही में कुछ सिक्ख नेताओं ने यह मांग की कि 1909 अधिनियम का विस्तार कर पूर्णरूपेण "सिक्ख विवाह अधिनियम" बनाया जाए और सभी सिक्ख विवाहों का रिजस्ट्रीकरण उस विधि के अधीन किया जाए।

हिन्दुओं में अन्तरजातीय और अन्तर-पंथीय विवाहों को मान्यता प्रदान करने के लिए आर्य विवाह विधिमान्य अधिनियम, 1937 पारित किया गया था । आश्चर्य है कि यह अधिनियम, जो अभी प्रवृत्त है, विवाहों के प्रमाणन की सुरथापित आर्य समाज प्रणली के बारे में कुछ उल्लेख नहीं करता ।

वस्तुतः, इन दोनों अधिनियमों द्वारा शासित विवाहों का रिजस्ट्रीकरण हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 और उस उपबंध के अधीन बनाए गए राज्य नियमों के अधीन किया जा सकता है । इसी प्रकार ब्रह्म समाजी जिनका विवाह के प्रमाणन की अपनी निजी प्रणाली है, के विवाह का रिजस्ट्रीकरण किया जा सकता है । आर्य-समाजी और ब्रह्म समाजी दोनों का विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेख हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा हिन्दू धर्म के "प्ररूप" या "विकास" के रूप में किया गया है – जबिक अधिनियम हिन्दुओं के अलावा, बौद्ध, जैन और सिक्खों को भी लागू होता है (धारा 2) ।

4000

जम्मू-कश्मीर में, स्थानीय हिन्दू विवाह अधिनियम, 1980 के सभी उपबंध आरंभतः अधिनियमित केन्द्रीय हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंधों के लगभग जैसे ही हैं । राज्य अधिनियम की धारा 8 शब्दशः विवाहों के रिजस्ट्रीकरण विषयक केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 को पुनरुत्पादित किया है । राज्य सरकार ने स्थानीय हिन्दू विवाह अधिनियम द्वारा शासित किसी विवाह के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण का उपबंध नहीं किया है ।

मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रीकरण

क - काजी द्वारा प्रमाणन

भारतीय मुस्लिमों में काजी के समक्ष विवाह के प्राइवेट रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था हमेशा चलती रही है।

यद्यपि सिद्धांततः, इस्लामिक विधि के अनुसार विवाह के रस्मयुक्त अनुष्टापन की अपेक्षा नहीं होती फिर भी, भारत के मुस्लिमों में विवाह का अनुष्टापन निरन्तर "काजी" के रूप में ज्ञात धार्मिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है । "निकाह" के रूप मे ज्ञात काजी द्वारा कराया गया संक्षिप्त समारोह – पक्षकारों की सहमति – पहले वधू और फिर दूल्हे से – अभिप्राप्त करने की औपचारिकता से आरंभ होता है और पवित्र कुरान की आयतों को पढ़ने और फिर प्रार्थना करने से समाप्त होता है । समारोह के पहले या तत्काल पश्चात् काजी निकाहनामा (विवाह प्रमाणपत्र) तैयार करता है जिसमें पक्षकारों का पूरा व्यौरा होता है और जिस पर दो साक्षियों और उन दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होते हैं । काजी इस पर अपने हस्ताक्षर करके और मुद्रा लगाकर निकाहनामा प्रमाणित करता है ।

उर्दू और हिन्दी में मानक निकाहनामा के मुद्रित प्ररूप ऐसे सभी काजियों के पास रहते हैं जो वह अपने द्वारा अनुष्ठापित विवाह के व्यौरे उसमें भरता है, दोनों पक्षकारो को प्रतियां जारी करता है और हमेशा एक प्रति अपने अभिलेख में संरक्षित रखता है।

भारतीय विधि के अधीन, काजियों द्वारा जारी निकाहनामा साक्ष्य में ग्राह्य है ।

ख – काजी अधिनियम, 1880

-

(...

()

(

£

(

काजी अधिनियम, 1880 के नाम से ज्ञात एक पुरानी केन्द्रीय विधि है जो राज्य सरकारों को विवाह आदि के अनुष्टापन के इच्छुक स्थानीय मुस्लिमों की सहायता करने के प्रयोजन के लिए काजी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है । ब्रिटिश भारत सरकार ने मुगल शासकों से काजी नियुक्त करने की शक्ति विरासत में प्राप्त की थी लेकिन 1864 में इसका अधित्याग कर दिया था । महान सर सैयद अहमद खान की अगुआई में मुस्लिमों की मांग पर काजी अधिनियम, 1880 अधिनियमित कर शक्ति पुनः प्राप्त की गई थी ।

इस अधिनियम के अधीन काजियों की नियुक्ति राज्य सरकारों द्वारा उसके नियंत्रणाधीन विभिन्न क्षेत्रों के लिए की जा सकती है । नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अक्वार, लम्बी अनुपस्थिति, दिवालियापन या असमर्थता के आधारों पर काजी को हटाया भी जा सकता है (धारा 2) । अधिकांश राज्यों में अभी प्रवृत्त अधिनियम में यह स्पष्टतः उल्लेख है कि राज्य नियुक्त काजी की उपस्थिति किसी विवाह के लिए अनिवार्य नहीं होगी । (धारा 4) ।

केन्द्रीय काजी अधिनियम अब प्राइवेट काजियों को लागू नहीं होता और इसमें काजी द्वारा विवाहों के अभिलेख तैयार करने और संरक्षित करने के कार्य से संबंधित कोई उपबंध नहीं है।

तथापि, महाराष्ट्र में, अधिनियम को प्राइवेट काजी को भी लागू बनाने के लिए और प्राइवेट और राज्य नियुक्त सभी काजियों से ऐसे विवाह जिनका उनसे अनुष्ठापन करने के लिए बुलाया जाता है, के उचित अभिलेख बनाए रखने की अपेक्षा करने के लिए 1980 में संशोधित क़िया गया ।

ग - स्थानीय मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम

छः राज्यों में मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम प्रवृत्त है जो स्थानीय मुस्लिमों में विवाह और विवाह-विच्छेद के स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करते हैं। ये राज्य इस प्रकार हैं: –

- (i) पश्चिमी बंगाल
- (ii) बिहार
- (iii) झारखंड
- (iv) असम
- (v) उड़ीसा
- (vi) मेघालय

इनमें मूल विधि पुराना बंगाल मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1876 है जो अभी भी उपरोक्त राज्यों के पहले तीन राज्यों में प्रवृत्त हैं।

उड़ीसा विधानमंडल ने उपरोक्त निर्दिष्ट 1876 के पुराने बंगाल विधि में कुछ परिवर्तन के साथ 1949 में पुनः-अधिनियमन किया । उड़ीसा मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1949 शीर्षक वाले इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण राज्य पर है ।

असम विधानमंडल ने 1935 में असम मुस्लिम विवाह और विवाह-

विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम नामक इसी प्रकार के अधिनियम का अधिनियमन किया । नव सृजित मेघालय राज्य ने स्थानीय तौर पर किसी भूल परिवर्तन के बिना 1974 में इस विधि का पुनः-अधिनियमन किया ।

ये सभी अधिनियम स्थानीय सरकारों को स्थानीय मुस्लिमों में विवाह और विवाह विच्छेद को रिजस्टर कराने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्राधिकृत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें अनुज्ञप्ति देने की शक्ति प्रदान करते हैं। "मुस्लिम विवाह रिजस्ट्रार" के रूप में ज्ञात इन व्यक्तियों को अधिनियमों में विस्तार से अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करना होता है। सभी अधिनियम, तलाक (पित द्वारा विवाह विच्छेद) और खुला (पत्नी के अनुसोध पर विवाह विच्छेद) समेत विवाह के रिजस्ट्रीकरण और विवाह विच्छेद के विभिन्न प्ररूपों के लिए भी विभिन्न प्ररूप विहित करते हैं।

इन अधिनियमों के अधीन नियुक्त मुस्लिम विवाह रिजस्ट्रारों की स्थिति केन्द्रीय काजी अधिनियम, 1880 के अधीन नियुक्त काजियों के समरूप है। बाद वाले के समान, ये सभी स्थानीय अधिनियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि राज्य-नियुक्तं मुस्लिम विवाह रिजस्ट्रार की उपस्थिति किसी विवाह के लिए बाध्यकर नहीं होगी और यह भी कि गैर-रिजस्ट्रीकरण किसी विवाह की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही मात्र रिजस्ट्रीकरण किसी ऐसे विवाह को विधिमान्य बनाएगा जो अन्यथा मुस्लिम विधि के अधीन अविधिमान्य है। इस प्रकार, इन अधिनियमों के अधीन रिजर्स्ट्रीकरण विधि द्वारा उपबंधित मात्र एक सुविधा है।

इन अधिनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी मुस्लिम रिजस्ट्रारों को रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन कार्य कर रहे जिला रिजस्ट्रारों के सामान्य अधीक्षण के अधीन कार्य करना होता है और प्रत्येक मास अपने रिजस्ट्रीकरण अभिलेखों को उन्हें पारेषण करने की अपेक्षा होती है । उस अधिनियम के अधीन राज्य में कार्य कर रहे रिजस्ट्रीकरण महानिरीक्षक को सभी मुस्लिम विवाह रिजस्ट्रारों पर नियंत्रण और उनके मार्गदर्शन के लिए विनियम जारी करना चाहिए ।

ये सभी अधिनियम राज्य सरकार को प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं और बनाए गए ऐसे नियमों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

1876 की बंगाल विधि के अधीन विरचित नियमों के अधीन रिजिस्ट्रार महानिरीक्षक की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति मुस्लिम रिजिस्ट्रारों की नियुक्ति, निलंबन और हटाए जाने का पर्यवेक्षण करती है । सरकार के अनुमोदन से समिति समय-समय पर मुस्लिम विधि की उनकी जानकारी की भी परीक्षा कर सकती है ।

ऐसे कुछ राज्यों में जहां ऐसे अधिनियम प्रवृत्त हैं, इसके अधीन बनाए गए नियमों को केन्द्रीय काजी अधिनियम, 1880 (उपरोक्त वर्णित) के अधीन कार्य कर रहे काजियों को भी लागू बनाया गया है। तथापि, ऐसे पादिरयों, जिनका समाज पर काफी प्रभाव है, की नाराजगी के भय से संव्यवहार में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर राज्य में, मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1981 में अधिनियमित किया गया जिसमें अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध था लेकिन सामुदायिक नेताओं के कठोर विरोध के कारण शीघ्र ही इसे वापस ले लिया गया।

क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी और बहाई विवाहों का रजिस्ट्रीकरण

क - भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872

£.

· Constant

(1

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 में यह उपबंध है कि प्रत्येक विवाह जिसके दोनों पक्षकार या एक पक्षकार क्रिश्चियन है, का अनुष्ठापन इसके उपबंधों के अनुसार किया जाएगा (धारा 4) । यह उपबंध विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रतिकृल है जो प्रत्येक के समान, क्रिश्चियनों को भी अपने समुदाय के भीतर या बाहर विवाह करने के लिए उपलब्ध है । तथापि, इसे संशोधित या निरसित नहीं किया गया है ।

भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 वहां तक लुप्त है जहां तक यह "क्रिश्चियन" ("क्रिश्चियन धर्म मानने वाले व्यक्तियों" के रूप में परिभाषित और "भारतीय क्रिश्चियन" ("भारत में रहने वाले क्रिश्चियनों के वंशज और क्रिश्चियन के रूप में संपरिवर्तित ऐसे क्रिश्चियनों" के रूप में परिभाषित) के बीच विभेद करता है । यह चर्च आफ इंग्लैण्ड (जिसे एंग्लिकन चर्च भी कहा जाता है), चर्च आफ स्काटलैण्ड और चर्च आफ रोम (जिसे रोमन कैथोलिक चर्च भी कहा जाता है) समेत विभिन्न चर्चों के अनुयायियों के लिए भी पृथक् उपबंध करता है । अधिनियम भारतीय क्रिश्चियनों और अन्य क्रिश्चियनों और विभिन्न चर्चों के अनुयायियों के लिए भी पृथक् उपवंध करता है । अधिनियम भारतीय क्रिश्चियनों और अन्य क्रिश्चियनों और विभिन्न चर्चों के अनुयायियों के लिए भी विवाह के अनुष्ठापन और रिजस्ट्रीकरण के लिए पृथक नियम का उपवंध करता है ।

पूर्वोक्त वर्गीकरण और विभेदों के कारण, अधिनियम द्वारा उपबंधित विवाहों के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था काफी जटिल है । अधिनियम के (धारा 7)

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति के सिवाय विवाह रिजस्ट्रारों से अपने अभिलेख सावधिक रूप से जन्म, मृत्यु और विवाह महारिजस्टारों को पारेषित करने की अपेक्षा है (धारा 9)।

ग – बहाई और यहूदी विवाह

बहाई विवाहों का अनुष्ठापन समुदाय के ऐसे धार्मिक कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है जैसे मुस्लिम विवाहों में काजी द्वारा जारी निकाहनामा के समान ही विवाहों के प्रमाणन की एक व्यवस्था है। (उपरोक्त देखें)

अनुष्ठापन की यहूदी व्यवस्था मुस्लिमों की व्यवस्था जैसी ही है। राब्बीस के नाम से ज्ञात यहूदी पुजारी विवाहों का अनुष्ठापन करते हैं और प्रमाणपत्र जारी करते हैं। राज्य के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकारी को विवाह अभिलेखों के पारेषण की बहाईयों या यहूदियों में कोई व्यवस्था नहीं है।

राज्य के रिजस्ट्रार के पास बहाई या यहूदी विवाहों को रिजस्टर कराने की कोई विधिक अपेक्षा या व्यवहार (प्रैक्टिस) नहीं है।

जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886

क - अधिनियम की सीमित व्याप्ति

वर्ष 1886 में केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा जन्म, मृत्यु और विवाह रजिरट्रीकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था ।

एक नया जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रीकरण अधिनियम वर्ष 1969 में संसद द्वारा पारित किया गया । इसमें विवाहों के रिजस्ट्रीकरण से संबंधित कोई उपबंध नहीं था और स्पष्ट किया गया था कि इसके उपबंध पुराने जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 "के अल्पीकरण में" नहीं हैं (धारा 29) । इस प्रकार विवाह के रिजस्ट्रीकरण विषयक 1886 के पुराने अधिनियम के उपबंध, जैसे भी वे हैं, प्रवृत्त हैं ।

जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 का शीर्षक कुछ हद तक भ्रामक है क्योंकि यह अपने उपबंधों के अधीन विवाह के रिजस्ट्रीकरण को स्वैच्छिक या अनिवार्य करने की अपेक्षा नहीं करता।

ख - विवाह अभिलेखों का पारेषण

जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 में "जन्म, मृत्यु और विवाह महा-रिजस्ट्रार" के प्रभार के अधीन प्रत्येक राज्य में एक "सामान्य रिजस्ट्रार कार्यालय" स्थापित करने का उपबंध है (धारा 6) । इसमें राज्य सरकारों द्वारा "जन्म और मृत्यु रिजस्ट्रार" की नियुक्ति का भी उपबंध है (धारा 12-18) । तथापि, विवाह रिजस्ट्रार की नियुक्ति का कोई उपबंध नहीं है ।

अधिनियम के अधीन नियुक्त और कार्य कर रहे जन्म, मृत्यु और विवाह महारजिस्ट्रार से निम्नलिखित तीन पुरानी विधियों के उपबंधों के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों से उसके द्वारा प्राप्त विवाह रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतियों की उचित सूची रखने की अधिनियम अपेक्षा करता है, अर्थात् :-

- (i) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1865 (अब पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936)
- (ii) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (अभी प्रवृत्त)
- (iii) विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (अब विशेष विवाह अधिनियम, 1954)

अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि महारजिस्ट्रार द्वारा बनाए रखे गए जन्म और मृत्यु रजिस्टरों की तरह ये सूचियां "सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुली रहनी चाहिए" और उसकी प्रविष्टियों की प्रतियां आवेदकों को दी जानी चाहिए क्योंकि यह विवाह को साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में ग्राह्य है (धारा 8-9) ।

विवाह रजिस्ट्रीकरण पर साधारण राज्य विधियां

क- बम्बई विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1954

Wille.

राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व, पूर्व बम्बई राज्य के विधान मंडल ने विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण के लिए विधि अधिनियमित की थी । बम्बई विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1954 शीर्षक वाला यह अधिनियम निम्नलिखित विधि, जिन सभी का विवाह रिजस्ट्रीकरण का अपना निजी उपबंध था, के अधीन अनुष्ठापित विवाहों के अलावा सभी विवाहों को लागू बनाया गया :

- (i) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
- (ii) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872, और
- (iii) विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (अब विशेष विवाह अधिनियम, 1954)

वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् बम्बई अधिनियम, 1954 वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में आवश्यक अनुकूलन के साथ प्रवृत्त बना रहा । दोनों राज्यों में यह कुछ हद तक बाद में संशोधित किया गया ।

इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार ऐसा स्थानीय क्षेत्रों के लिए विवाह रिजस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नाम या पदेन इतने व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे और इसके अधीन बनाए जाने वाले नियमों के अधीन उनके कर्तव्य और शक्तियां

विहित कर सकेगी । अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियम विवाह के रजिस्ट्रीकरण की विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित करते हैं ।

राज्य में हुए सभी विवाह का रिजस्ट्रीकरण इस विधि द्वारा उपबंधित रूप में अनिवार्यतः किया जाना चाहिए । अपेक्षा न केवल प्रथम विवाह को लागू होती है बल्कि किसी व्यक्ति के सभी पश्चात्वर्ती विवाहों को भी लागू होती है । यह बाध्यता उस तारीख से लागू होती है जिसको 1954 की रिजस्ट्रीकरण विधि राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त की गई ।

विधि द्वारा यथापेक्षित विवाह रजिस्टर कराने की असफलता दो सौ रुपए तक के जुर्माने द्वारा कानूनी शास्ति का दायी होगा लेकिन विवाह को अविधिमान्य नहीं बनाएगा यदि यह अन्यथा उसको लागू विधि के अधीन विधिमान्य है।

विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विवाह का ज्ञापन विवाह के पक्षकारों द्वारा तैयार और हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । यदि दोनों में से कोई पक्षकार विवाह के समय अठारह वर्ष से कम आयु का है तो ज्ञापन उस पक्षकार के पिता या संरक्षक द्वारा तैयार और हस्ताक्षर किया जाएगा । तथापि, जहां पक्षकार ने पिता या संरक्षक की सहमित के बिना विवाह किया है वहां वह पक्षकार, न कि संरक्षक, ज्ञापन तैयार और हस्ताक्षर करेगा । यह नियमों में यथा अधिकथित सभी ब्यौरे वाले कानूनी प्ररूप में होना चाहिए । रथानापन्न पुजारी या जो कोई अन्य विवाह का अनुष्टापन करता है, को ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहिए ।

इस प्रकार तैयार ज्ञापन विहित अवधि के भीतर ऐसे स्थानीय क्षेत्र जहां विवाह होता है, के विवाह रजिस्ट्रार को दो प्रतियों में और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वार। विहित फीरा के साथ भेजा जाना चाहिए । रजिस्ट्रार झापन की एक प्रति अपने विवाह रजिस्टर में फाइल करेगा और दूसरी प्रति जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन कार्य कर रहे राज्य के जन्म, मृत्यु और विवाह महारजिस्ट्रार को भेजेगा ।

दो सौ रुपए के जुर्माने की शास्ति :-

- (i) विधि द्वारा यथापेक्षित विवाह के ज्ञापन को जानबूझ कर लोप करने या परिदत्त या भेजने की उपेक्षा करने,
- (ii) विहित समय के भीतर विवाह के ज्ञापन को जानबूझ कर लोप करने या परिदत्त या भेजने की उपेक्षा करने, और
- (iii) ऐसे ज्ञापन मे ऐसा कोई कथन करने जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है और जिसे ऐसा करने वाला व्यक्ति मिथ्या होना जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है ;

के लिए दोषसिद्धि पर अधिरोप्य विधि द्वारा विहित है । ख - अन्य राज्यों की विधियां

बम्बई विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1954 को जो अब महाराष्ट्र और गुजरात में लागू है, यथावश्यक परिवर्तन सहित आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल समेत कुछ अन्य राज्यों में स्थानीय विधान द्वारा अंगीकार किया गया है।

कहीं भी विवाह को रिजस्टर कराने की असफलता, जो अन्यथा अनिवार्य है, किसी भी प्रकार से विवाह की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करता । यह लागू विधि के अधीन विवाह के किसी पक्षकार के वैवाहिक या विवाह-विच्छेद पश्चात् अधिकार या वैवाहिक उपचारों की उपलब्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता ।

पूर्व भैसूर राज्य में, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1956 में पारित किया गया था ।

राजस्थान विधान मंडल ने 1958 में जन्म, मृत्यु और विवाह रिजर्ट्रीकरण अधिनियम पारित किया । इस अधिनियम में यह उपबंध है कि राज्य सरकार विवाह के रिजस्टर की प्रमाणित प्रतियां रखने के लिए पृथकतः एक सामान्य रिजस्ट्रार कार्यालय स्थपित करने और ऐसे पृथक् कार्यालय के प्रमार के अधीन राज्य के विवाह महारिजस्ट्रार कहे जाने वाले अधिकारी की नियुक्ति करने में स्वविवेकाधिकार का प्रयोग कर सकती है [धारा 4(ख)] । यह विलयित राज्य क्षेत्र, जहां यह पूर्व में प्रवृत्त था, में केन्द्रीय जन्म, मृत्यु और विवाह रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 को अनुप्रयुक्त बनाता है [धारा 25(i) । यह कुछ ऐसे राज्य क्षेत्रों में इस विषय पर पूर्व प्रवृत्त स्थानीय विधियों को भी निरिसत करता है [धारा 25(ii-(vi)]

विवाह विच्छेद का रजिस्ट्रीकरण

क- न्यायालय के बाहर अभिप्राप्त विवाह-विच्छेद

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 रुद्धिगत विधि के अधीन अभिप्राप्त विवाह-विच्छेदों को मान्यता प्रदान करता और संरक्षित करता है (धारा 29), लेकिन न्यायालय के बाहर हुए ऐसे विवाह विच्छेदों के रिजस्ट्रीकरण के लिए कोई उपबंध नहीं करता ।

पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय में लागू मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियमों में राज्य सरकारों द्वारा उन अधिनियमों के अधीन नियुक्त मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार के पास न्यायालय के बाहर के विवाह-विच्छेदों के स्वैच्छिक रजिस्ट्रीकरण का उपबंध है । निम्नलिखित प्रकार के विवाह-विच्छेदों का इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण सभी राज्यों में किया जा सकता है :-

- (i) तलाक (पति द्वारा विवाह विच्छेद)
- (ii) खुला (पत्नी के अनुरोध पर विवाह विच्छेद), और
- (iii) मुबारात (पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद)

विवाह-विच्छेद के इन प्रत्येक प्रवर्गों के रिजस्ट्रीकरण के लिए इन अधिनियमों द्वारा पृथक प्ररूप विहित किए गए हैं।

उड़ीसा मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद अधिनयम, 1949 में तलाक-तफवीज (विवाह संविदा में इस प्रयोजन के लिए अनुबंध के निबंधनानुसार पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद) के रजिस्ट्रीकरण का भी उपबंध है । यह ऐसे विवाह विच्छेदों के रिजस्ट्रीकरण के लिए विशेष प्ररूप विहित करता है ।

इन सभी विधियों के अधीन सभी विवाह-विच्छेदों के रिजस्ट्रीकरण को स्वैच्छिक आधार पर बनाया जाना चाहिए ; और किसी विवाह विच्छेद का गैर-रिजस्ट्रीकरण इसकी विधिक मान्यता को दूषित नहीं करता ।

ख- न्यायालयों में अभिप्राप्त विवाह-विच्छेद

पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 के अधीन, न्यायालय के हस्तक्षेप से ही विवाह-विच्छेद अभिप्राप्त किया जा सकता है।

अधिनियम विवाह-विच्छेद, अकृतता या विघटन की डिक्री न्यायालय द्वारा पारित कर ऐसी डिक्री की एक प्रति संबद्ध अधिकारिता वाले विवाह रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिए भेजने की अपेक्षा करता है (धारा 10)

निम्नलिखित में से किसी भी विधि के अधीन विवाह-विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण के लिए ऐसा कोई उपबंघ नहीं है :-

- (i) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872
- (ii) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ; और
- (iii) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

निष्कर्ष और सिफारिशें

क- निष्कर्ष

अब हम विवाह के रिजस्ट्रीकरण विषयक विद्यमान केन्द्रीय और राज्य विधियों के अपने सर्वेक्षण पर आधारित निष्कर्षों को संक्षेप में व्यक्त करते हैं :

- (i) विवाहों के रजिस्ट्रीकरण विषयक विधियों की भारी विभिन्तता रही है और अब भी है । विषय पर विधि की वर्तमान स्थिति वस्तुतः जटिल और भ्रामक है ।
- (ii) ऐसी विधियां जो किसी प्रकार के विवाह-विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण का उपबंध करती हैं ; मुस्लिमों और पारिसयों से संबंधित हैं । अन्य सभी विवाह रिजस्ट्रीकरण विधियों में विवाह-विच्छेद के रिजस्ट्रीकरण का उपबंध नहीं है यद्यपि यह सामाजिक रूप से लाभकर प्रतिपादना है ।
- (iii) हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्ख लोगों में न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेदों का रिजस्ट्रीकरण - जिनकी मान्यता हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 प्रदान करता है, अत्यंत वांछनीय है।
- (iv) मुस्लिम समाज में, काजी द्वारा विवाहों के प्राइवेट रिजस्ट्रीकरण की व्यवस्था है जिसे ठीक करने और राज्य रिजस्ट्रार के पास विवाह के रिजस्ट्रीकरण को जोड़ने तथा सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है।

- (v) मुस्लिमों में, विवाह विच्छेदों का काजी के पास कभी रिजस्ट्रीकरण नहीं होता है । उन मामलों में जहां विवाह विच्छेद काजी के हस्तक्षेप से होता है उसके द्वारा विवाह-विच्छेद का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है । मुस्लिमों में विवाह-विच्छेदों के रिजस्ट्रीकरण के लिए पूर्वी राज्यों में स्थानीय विधियों के उपबंध निष्क्रिय हैं और बिलकुल व्यवहार में नहीं हैं । ऐसे समुदाय जिनकी स्वीय विधि विवाह के बाहर विवाह-विच्छेद की अनुज्ञा देती है, में विवाह विच्छेदों के रिजस्ट्रीकरण का अभाव विधि के दुरुपयोग की काफी गुंजाइश छोड़ता है और प्रायः महिलाओं को इससे काफी कठिनाई होती है ।
- (vi) नगण्य राज्यों मे उस विधि के सिवाय जिसके अधीन सभी विवाहों का अनुष्ठापन किया जाना चाहिए, अनिवार्य रूप से विवाह का रिजस्ट्रीकरण होता है । अधिकांश राज्यों ने सभी समुदायों को लागू विवाह रिजस्ट्रीकरण पर कोई सामान्य विधि अधिनियमित नहीं की है ।
- (vii) उन राज्यों में जहां सभी विवाहों के अनिवार्य रिजरट्रीकरण की विधियां हैं, ऐसी विधियां त्रुटिपूर्ण और प्रभावहीन हैं । लोग साधरणतः उनका पालन नहीं करते क्योंकि गैर-रिजरट्रीकरण से केवल थोड़े रकम का जुर्माना ही भरना पड़ता है ।
- (viii) विवाह के रजिस्ट्रीकरण के प्रशासनिक तंत्र का विनियमन प्रत्येक जगह एक और उसी विधि द्वारा नहीं किया जाता ।

यह रिजस्ट्रीकरण कर्मचारियों और अपने विवादों को रिजस्टर कराने के इच्छुक या अपेक्षित लोगों में काफी भ्रम पैदा करता है।

- (ix) जैसाकि आज भी विभिन्न समुदाय विभिन्न विवाह विधियों द्वारा शासित हैं, फिर भी सभी समुदायों में सभी विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण के नियम किसी विशिष्ट समुदाय विनिर्दिष्ट विधि के अधीन स्पष्टतः नहीं बनाए जा सकते हैं।
- (x) लोगों के मन में सामान्य भ्रम है कि धार्मिक रस्मों के अनुसार अनुष्ठापित विवाह का रिजस्ट्रीकरण और पक्षकारों के धर्म आधारित विधि द्वारा शासित होने की इच्छा इसे सिविल विवाहों की सामान्य विधि द्वारा शासित होने वाले सिविल विवाह में परिवर्तित कर देगा । यह विवाह रिजस्ट्रीकरण के सामने घोर अवरोध है जिसे प्रभावी रूप से हटाए जाने की आवश्यकता है ।
- (xi) विवाह के रिजस्ट्रीकरण के फायदे और गैर-रिजस्ट्रीकरण के नुकसान किसी विधि या नीतिगत दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नहीं है और इस प्रकार इस बाबत लोगों के मन में बिल्कुल स्पष्टता नहीं है ।

ख - सिफारिशें

भारत के संविधान के अधीन कुटुम्ब मामले केन्द्र और राज्यों के समवर्ती अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं [सूची 3, प्रविष्टि 5] । अतः विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण पर संसदीय विधान न केवल संभव बल्कि

काफी वांछनीय है। यह विवाह रिजस्ट्रीकरण विषयक मूल विधि में संपूर्ण देश में एकरूपता लाएगा और प्रभावी रूप से वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। वस्तुतः प्रस्तावित अधिनियम के अधीन नियम राज्य सरकारों द्वारा बनाए जा सकते हैं और यह स्थानीय सामाजिक विभेदों पर ध्यान देगी।

अतः हम विषय पर केन्द्रीय विधि के अधिनियमन की सिफारिश करते हैं । हम आगे सभी सुसंगत केन्द्रीय और स्थानीय विधियों में परिणामी परिवर्तनों की सिफारिश करते हैं ।

हमारी विस्तृत सिफारिशें इस प्रकार हैं :-

- (i) संसद द्वारा एक "विवाह और विवाह-विच्छेद रिजस्ट्रीकरण अधिनियम" [जिसे इसके पश्चात् "प्रस्तावित विधि" कहा गया है संपूर्ण भारत और सभी नागरिकों को उनके धर्म और स्वीय विधि पर विचार किए बिना और किसी अपवाद या छूट के बिना लागू करने के लिए अधिनियमित किया जाए ।
- (ii) प्रस्तावित विधि केवल विवाह और विवाह-विच्छेद के बारे में हो और सामान्य तथा समुदाय-विनिर्दिष्ट विभिन्न वैवाहिक विधियों द्वारा अद्यतन शासित किसी सारवान् पहलू को प्रभावित न करे।
- (iii) प्रस्तावित विधि के अधीन जिला/उप-जिला स्तरों पर रिजस्ट्रीकरण कार्यालय समेत विवाह और विवाह-विच्छेद रिजस्ट्रीकरण के लिए एक उचित और सामान्य तंत्र की व्यवस्था की जाए । राज्य सरकारें ऐसे कार्यालय स्थापित कर सकती हैं , विभिन्न स्तरों पर नाम या पदेन द्वारा

विवाह और विवाह-विच्छेद रिजस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं और उनके कामकाज का विनियमन करने के लिए नियम विहित कर सकती हैं।

- (iv) चूंकि सभी समुदायों में विवाह का अनुष्ठापन एक धार्मिक समारोह के साथ होता है इसलिए विवाह अनुष्ठापित कराने वाले धार्मिक कर्मचारी विवाह के रिजस्ट्रीकरण के संबंध में मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं । प्रस्तावित विधि में प्रत्येक विवाह के "रथानापन्न पुजारी" के लिए विहित प्ररूप में सभी विवाहों के उचित अभिलेख तैयार करना और बनाए रखना आज्ञापक बनाया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए "स्थानापन्न पुजारी" पद में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए :
 - (क) पंडित, पुरोहित और अन्य हिन्दू धार्मिक कर्मचारी चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो विवाह का अनुष्ठापन कराता है ;
 - (ख) काजी और सभी अन्य मुस्लिम धार्मिक कर्मचारी चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो निकाह का अनुष्टापन कराता है ;
 - (ग) क्रिश्चियन पुरोहित और अन्य चर्च कर्मचारी जो क्रिश्चियन विवाह का अनुष्ठापन कराता है ;
 - (घ) पारसी, यहूदी और बहाई धार्मिक नेता जो इन समुदायों में किसी विवाह का अनुष्ठापन कराता है;

- (ड) ऐसा कार्य करने वाले अन्य सभी धर्मों का पुरोहित (पादरी) ; और
- (च) कोई अन्य व्यक्ति, चाहे धार्मिक कर्मचारी है या नहीं; जो किसी विवाह में धार्मिक या रुढ़िगत रस्म निष्पादित करता है।
- (v) प्रत्येक "स्थानापन्न पुजारी" (जैसा ऊपर परिभाषित है) के लिए अपने सभी अभिलेखों की प्रतियां नियमित अंतरालों पर स्थानीय विवाह और विवाह-विच्छेद रिजस्ट्रीकरण अधिकारी को पारेषित करना आज्ञापक बनाया जाए।
- (vi) विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपने अभिलेख पारेषित करते समय, स्थानापन्न पुजारी को ऐसा प्रमाणपत्र भी भेजना चाहिए कि अभिलेख में सम्मिलित प्रत्येक विवाह पक्षकारों को लागू विवाह विधि की अपेक्षानुसार उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार था।
- (vii) उपरोक्त पैरा (v) और (vi) में कथित अपेक्षाओं को निम्नलिखित अधिनियमों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित विधि द्वारा संशोधन लाया जाना चाहिए :-
 - (क) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 ;
 - (ख) काजी अधिनियम, 1880 ;
 - (ग) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम,1936 ; और
 - (घ) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

- (viii) काजी अधिनियम, 1880, प्राइवेट काजी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी मुस्लिम विवाह में निकाह समारोह का निष्पादन करता है, दोनों को लागू बनाते हुए, का और संशोधन करना चाहिए।
- (ix) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि इसके उपबंधों के अधीन कार्य कर रहे विवाह अधिकारी संबद्ध जिले के विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विहित अंतरालों पर अपने अभिलेख पारेषित करेंगे।
- (x) विदेश विवाह अधिनियम, 1969 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि सभी देशों के भारतीय दूतावास संबद्ध राज्य के राज्य रजिस्ट्रार को आगे पारेषित करने के लिए दिल्ली के विदेश मंत्रालय को अपने अभिलेख विहित अंतरालों पर भेजेंगे।
- (xi) काजी अधिनियम, 1880 का यह और उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि मुस्लिमों में प्रत्येक विवाह-विच्छेद, चाहे जिस भी प्ररूप का हो, की संसूचना विहित समय के भीतर लेखबद्ध रूप में क्षेत्र के काजी को की जानी चाहिए । काजी से ऐसे विवाह विच्छेदों के उचित अभिलेख बनाए रखने और विवाह अभिलेखों के साथ क्षेत्र के विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विवाह-विच्छेदों के अपने अभिलेख सावधिकतः पारेषित करने की अपेक्षा है ।

(xii) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 29 का संशोधन यह उपबंध करने के लिए किया जाना चाहिए कि हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिक्ख के सभी रूढिगत विवाह विच्छेदों को प्रस्तावित विधि के अधीन कार्य कर रहे विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाए । (xiii) पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 में पाए गए इस आशय के उपबंध के पैटर्न पर विवाह-विच्छेद की डिक्री या विवाह की अकृतता मंजूर करने वाले न्यायालयों के रजिस्ट्रीकरण कार्यालय को सावधिकतः गेजने की अपेक्षा करने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों को संशोधित किया जाए :

- (क) भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 ;
- (ख) पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 ;
- (ग) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ; और
- (घ) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
- (xiv) प्रस्तावित विधि में अपने उपबंधों द्वारा यथापेक्षित विवाह या विवाह-विच्छेद को रिजस्टर कराने की असफलता को गारी जुर्माना और जुर्माना के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में विहित अविध के कारावास से दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए।
- (xv) प्रस्तावित विधि में यह भी उपबंध होना चाहिए कि विवादित मामलों में न्यायिक राहत मंजूर नहीं की जाएगी यदि संबद्ध विवाह

या विवाह-विच्छेद का इसके उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से रिजस्टर नहीं कराया गया है।

- (xvi) प्रस्तावित विधि में सम्यक् रूप से इसमें अंतःस्थिपत सर्वोपरि खंड के माध्यम से अन्य सभी विधियों पर अभिभावी प्रभाव दिया जाना चाहिए ।
- (xvii) निम्नलिखित विधियों को आवश्यक व्यावृत्ति उपबंधों के साथ निरसित किया जाना चाहिए :-
 - क) जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886
 - ख) सामान्यतः विवाह के रिजस्ट्रीकरण से संबंधित सभी राज्य विधियां
 - ग) पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय में प्रवृत्त मुस्लिम विवाह और विवाह-विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (चाहे जिस नाम से हो) ; और
 - घ) किसी पूर्व विद्यमान विधि में विवाह के रिजस्ट्रीकरण विषयक कोई उपबंध जो प्रस्तावित विधि के उपबंधों के प्रतिकूल हो (ऐसी प्रतिकूलता के विस्तार तक) ।

ह.-(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

ਰ.−

ह.−

(प्रोफेसर डा. ताहिर महमूद) (डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य

सदस्य सचिव